राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./4880/2003/हनुमानगढ

हरपाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी कुलचन्द
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

....अपीलांट

बनाम

1. लालचंद पुत्र शेराराम (मृतक) जरिये वारिसान–
   1/1. सावित्री देवी पत्नी लालचंद
   1/2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचंद
   1/3. किरण पुत्री लालचंद
   1/4. रविन्द्र कुमार पुत्र लालचंद
   समस्त जाति जाट निवासी चक 6 सी.डी.आर.सहारणी (कुलचंद)
   तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित–
श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक अपीलांट
श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 09.06.2022

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 108/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–8–2003 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का बहस में कथन है कि अपीलांट/वादी द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी के न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा व दिलवाये जाने कब्जा इस आशय का पेश किया कि चक 7 सी.डी.आर. पत्थर नंबर

224/246 किला नंबर 9 से 13 कुल 5 बीघा भूमि वादी के पिता की खातेदारी की थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलांट के पिता की वृद्धावस्था का लाभ उठाकर उक्त भूमि का इच्छा पत्र दिनांक 18–2–85 को अपने नाम करवा लिया जबकि ऐसा करने की अपीलांट के पिता की इच्छा नहीं थी। अतः दिनांक 7–6–90 को उक्त भूमि का इच्छा पत्र अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से अपीलांट/वादी के नाम निष्पादित करवा दिया। जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं एवं इसी दिनांक 7–6–90 की वसीयत में अपनी पूर्व वसीयत दिनांक 18–2–85 को निरस्त कर दिया। इस प्रकार यह इच्छा पत्र दिनांक 7–6–90 शेराराम की अंतिम वसीयत है, जिसके आधार पर उक्त भूमि पाने का अपीलांट/वादी अधिकारी है। शेराराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि पर हठात कब्जा कर लिया। अतः वादी को उक्त 5 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं अनुशांगिक रूप से विवादित भूमि का भौतिक धारण वादी को दिलाया जावे। प्रतिवादी ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में की गई वसीयत को उचित बताया। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं उन पर दोनों पक्षों की साक्ष्य दर्ज कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 26–7–2002 द्वारा अपीलांट/वादी का वाद निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–8–2003 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि शेराराम द्वारा दिनांक 7–6–90 को अपीलांट के पक्ष में इच्छापत्र निष्पादित किया गया था, जो स्वतः सिद्ध है क्योंकि उक्त इच्छा पत्र दिनांक 7–6–90 में मृतक शेराराम के दो पुत्र ख्यालीराम व राजेन्द्र सिंह ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये हुए हैं। यही इस वसीयत का सबलतम पक्ष है क्योंकि यदि इच्छापत्र दिनांक 18–2–85 निरस्त होता है तो शेराराम के सभी पुत्रों का अधिकार होता है, जिमसें ख्यालीराम व राजेन्द्र सिंह का भी हिस्सा बनता है, ऐसी स्थिति में शेराराम के दोनों पुत्रों की साक्ष्य को पूर्णतया स्वतंत्र साक्ष्य मानी जानी चाहिए थी किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मुख्य विवाद बिन्दु तनकी संख्या 1 को ही माना गया है एवं वादी को खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है, जिसका एकमात्र आधार यह बताया गया है कि वसीयत दिनांक 7–6–90 चूंकि

अपंजीकृत है, अतः विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती। उनका तर्क है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 के अनुसार वसीयत को पंजीबद्ध करवाना आवश्यक नहीं है एवं वसीयत को साधारण कागज पर लिखा जा सकता है। इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें एवं वादी का वाद डिक्री किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 1984 RRD 391, 2015 (2) RRT 813, 2012 RRD 141 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

4. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में कथन किया अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत संदेहास्पद व फर्जी है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट लालचंद के पक्ष में की गई वसीयत सही एवं पंजीकृत है। अपीलांट / वादी के पक्ष में करवाई गई तथाकथित वसीयत दिनांक 7–6–90 में पहले गवाहान के हस्ताक्षर हैं व कोने पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं। उक्त वसीयत के कातिब के रूप में वादी ने पी.डब्ल्यू.4 बनवारी लाल के बयान करवाये, जबकि बनवारी लाल के उक्त वसीयत पर बतौर कातिब कोई हस्ताक्षर नहीं है। वसीयत लिखने वाले बनवारी लाल ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि हर दस्तावेज में दस्तावेजी तहरीर करने वाले के हस्ताक्षर बीच में करवाते हैं। वसीयत दिनांक 7–6–90 को अपने रजिस्टर में दर्ज न होना व वसीयत पर बतौर कातिब अपने हस्ताक्षर न होना भी बनवारी लाल ने स्वीकार किया है व साक्ष्य में यह कथन भी किया है कि शेराराम व दोनों गवाह मेरे पास एक साथ आये थे, उनके साथ कोई नहीं था। शेराराम द्वारा अपनी जमीन की वसीयत करने का कथन किया है। पी. डब्ल्यू. 1 वादी हरपाल ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि वसीयत कराने के लिए वह स्वयं शेराराम गवाह ख्यालीराम व राजेन्द्र साथ–साथ आये थे। साक्ष्य पी. डब्ल्यू. 2 ख्यालीराम ने अपनी साक्ष्य में शेराराम उसी कोर्ट में मिलने का कथन किया व साथ में हरपाल होने का कथन किया है एवं गवाह राजेन्द्र के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया। गवाह पी.डब्ल्यू.3 राजेन्द्र ने अपने काम से हनुमानगढ आया हुआ होना व कचहरी जाने पर ख्यालीराम से मिलने का कथन किया है। उक्त वसीयत के सभी गवाहान के साक्ष्य विरोधाभाषी है, इसलिए वसीयत संदेहास्पद है तथा रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी लालचंद के पक्ष में की गई

वसीयत रजिस्टर्ड है। उक्त आधार पर विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय व डिक्री दिनांक 26–7–2022 द्वारा खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–8–2003 द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज किया है। अतः जहां दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हो, वहां उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2011 RBJ 364, 2016 RBJ 482 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये। अंत में उन्होंने अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया।

6. विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में 6 तनकियात कायम की, जो निम्नानुसार है–

''1. आया वादी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि की खातेदार कृषक की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है? –वादी
2. आया वादी वाद की चरण संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? –वादी
3. आया वाद वादी अल्प न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है ? –प्रति. सं.1
4. आया वाद वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है ? –प्रति.सं.1
5. आया वाद वादी अवधि बाधित है ? –प्रति.सं.1
6. अनुतोष ''

7. तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वसीयत दिनांक 18–2–85 के आधार पर उक्त भूमि प्रतिवादी लालचंद के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 91 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी/अपीलांट ने वसीयत दिनांक 7–6–90 के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, जबकि वसीयत दिनांक 7–6–90 सादे कागज पर लिखी गई है, इसके विपरीत प्रतिवादी लालचंद के पक्ष लिखी गई वसीयत दिनांक 18–2–85 पंजीकृत है। पी.डब्ल्यू.4 बनवारी लाल ने वसीयत अपने द्वारा टाइप करना बताया है व स्वयं को वसीकानवीस होने का कथन किया है किन्तु उक्त वसीयत पर बतौर कातिब बनवारीलाल के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही वादी स्वयं एवं वसीयत के गवाह राजेन्द्र व ख्यालीराम एवं कातिब बनवारीलाल की मौखिक जिरह में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास है। कातिब ने गवाहान व शेराराम को साथ–साथ आने का कथन किया है, जबकि वसीयत के गवाह ख्यालीराम ने राजेन्द्र के

साथ नहीं जाने एवं कोर्ट में मिलने तथा उसे हरपाल द्वारा कोर्ट में लाने का कथन किया है। साथ ही उक्त वसीयत पर दोनों गवाहान ख्यालीराम व राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर के पश्चात कोने पर वसीयसतकर्ता शेराराम के हस्ताक्षर हैं। वादी के गवाह बनवारीलाल ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि हर दस्तावेज में दस्तावेजी तहरीर करने वाले के हस्ताक्षर बीच में करवाते हैं। वसीयत दिनांक 7–6–90 का अपने रजिस्टर में दर्ज न होना व वसीयत पर बतौर कातिब अपने हस्ताक्षर न होना भी बनवारी लाल ने स्वीकार किया है। गवाह पी.डब्ल्यू.3 राजेन्द्र सिंह ने अपने काम से हनुमानगढ आया हुआ होना व कचहरी जाने पर ख्यालीराम से मिलने का कथन किया है। साथ ही अपने पिता किस साधन से हनुमानगढ गये थे यह पता नहीं होने का कथन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयत के गवाहान के साक्ष्य/बयान विरोधाभाषी हैं, ऐसे में अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत संदेहास्पद प्रतीत होती है।

8. यह सही है कि पंजीयन अधिनियम के तहत वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है एवं वसीयत सादे कागज पर भी निष्पादित की जा सकती है किन्तु वसीयत को साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में वादी अपने पक्ष में की गई वसीयत को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसके विपरीत प्रतिवादी लालचंद के पक्ष में की गई वसीयत पंजीबद्ध है, जो एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ऐसे में अपीलांट/वादी विवादग्रस्त आराजी की घोषणा व कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकी संख्या 1 को वादी के विरूद्ध निर्णित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

9. तनकी संख्या 2, तनकी संख्या 1 के निर्णय पर आधारित थी। तनकी संख्या 1 के निर्णय के अनुसार विवादग्रस्त भूमि में अपीलांट/वादी का हक व हिस्सा न होना निर्धारित किये जाने से वादी विवादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। ऐसे में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकी संख्या 2 को वादी के विरूद्ध निर्णित किया है, जो उचित है।

10. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं एवं प्रकरण में अन्य कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अन्तवर्लित नहीं है, जिससे कि द्वितीय

अपील के माध्यम से आक्षेपित निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जावे। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं इस अपील में कोई सार नही पाते हैं। हमारे विनम्र मत में अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—8—2003 एवं सहायक कलक्टर टिब्बी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—7—2002 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य